दिनाक 12.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–12/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेड़ा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल जीवित व खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11.02.2021 की रात्रि थाना कंकरखेड़ा थाना जानी एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोला रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी रिजवान उर्फ बन्टी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, व भारी मात्रा में जीवित व खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली के विभिन्न थानो पर लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खरखौदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–597/2020 धारा 392 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

रिजवान उर्फ बन्टी निवासी नंगलाताशी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी–ः

1–01 अवैध पिस्टल व भारी मात्रा में जीवित व खोखा कारतूस,

2–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **03 अवैध तमंचे, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस,**
- **01 सेन्ट्रोकार आदि बरामद**

दिनांक 11/12.02.2021 की रात्रि थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओमीक्रोन के पास बदमाशो की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–जमील सहित 2–रिजवान 3–वसीम घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 अवैध तमंचे, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 सेन्ट्रोकार आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास,सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जमील थाना दादरी से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–जमील निवासी गोदीसराय थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

2–रिजवान निवासी सिवाल खास थाना जानी मेरठ।

3–वसीम निवासी गुलावठी थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी–:

1–03 अवैध तमंचे, 06 जीवित, 03 खोखा कारतूस,

2–01 सेन्ट्रोकार आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन,**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 11.02.2021 की सायं थाना देवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट की सूचना पर टीपाहार जंगल के पास मोटर साइकिल बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन,

घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सतरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0—300/2020 धारा 457/380 भादवि, व मु0अ0सं0—322/2020 धारा 457/380 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

सुकेश निवासी मोहम्मदाबाद थाना सतरिख जनपद बाराबंकी हालपता—बैकुण्ठापुर चौकी भगौली थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी—:

1—लूट का 01 मोबाइल फोन,
2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल,
3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11—02—2021 को थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैयफेयर बैंकटहाल के पास से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार किया गया,

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बारादरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2021 धारा 223/224 भादवि व 3/4 महामारी

अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अशोक कुमार उर्फ बिल्लू निवासी जाजूनगर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली

- **06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी/लूट की घटनाओं का अनावरण,**
- **शोरूम से लूटा गया मकैनिकल टूल,**
- **चोरी/लूट के 25 मोबाइल फोन,**
- **02 किलोग्राम चॉदी के जेवरात,**
- **05 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा, 06 जीवित कारतूस,**
- **लोहे की तिजोरी,**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.02.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्र से 06 शातिर अभियुक्तों 1—रोहित उर्फ प्रदीप 2—विकास 3—धर्मेन्द्र 4—पंकज 5—गोलू उर्फ अरूण 6—संदीप कुमार को गिरफ्तार कर चोरी/लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से शोरूम से लूटा गया मकैनिकल टूल चोरी/लूट के 25 मोबाइल फोन, 02 किलोग्राम चॉदी के जेवरात, 05 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा, 06 जीवित कारतूस, लोहे की तिजोरी, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनॉकः 03.02.2021 को मोबाइल की दुकान से, दिनॉकः 03/04.02.2021 को

रेनाल्ड शोरूम एवं अकांक्षा टीवीएस शोरूम, दिनॉकः07.02.2021 को व दिनॉकः 09.02. 2021 को विभिन्न स्थानो से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद माल चोरी/लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—रोहित उर्फ प्रदीप निवासी चक्की थाना मलवा जनपद फतेहपुर।

2—विकास निवासी भरेठा बमरौली थाना धूमनगंज जनपद फतेहपुर।

3—धर्मेन्द्र निवासी भरेठा बमरौली थाना धूमनगंज जनपद फतेहपुर।

4—पंकज निवासी कुॅवरपुर बनवारी थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

5—गोलू उर्फ अरूण निवासी अल्लीपुर जीता अहमदगंज थाना कडाधाम जनपद कौशाम्बी।

6—संदीप कुमार निवासी आबूननगर ककरहा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

बरामदगीः—

1—शोरूम से लूटा गया मकैनिकल टूल,

2—चोरी/लूट के 25 मोबाइल फोन,

3—02 किलोग्राम चॉदी के जेवरात,

4—05 मोटर साइकिल,

5—04 अवैध तमंचा, 06 जीवित कारतूस,

6—लोहे की तिजोरी,

7—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सदरबाजार

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 72 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस, 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 11/12.02.2021 की रात्रि थाना सदरबाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लाल इमली चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1—अब्दुल वहीद, 2—गुलाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धोखाधड़ी के 72 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा नौकरी लगवाने की बात कहकर फर्जी आई0कार्ड दिखाकर लोगो से धोखाधड़ी/जालसाजी कर रूपये हड़पने का कार्य करते है, जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 92/2021 धारा 420/406 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटा से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— अब्दुल बहीद निवासी गुरसियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

2— गुलाम हुसैन निवासी गुरसियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

<u>बरामदगी</u>

1— धोखाधड़ी के 72 हजार रूपये नगद

2— 02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस, 01 मोबाइल फोन

3— घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन आदि

जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 7 लाख रूपये कीमत के 47 किलो 950 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 12–02–2021 को थाना मंझनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ओसा नहर पुलिया के पास से मदाक पदार्थ तस्कर 1–अभिषेक, 2–मन्दीप कुमार, 3–अभिषेक सोनी, 4–प्रमोद कुमार, 5–शेरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 7 लाख रूपये कीमत के 47 किलो 950 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– अभिषेक निवासी चित्ता हर्रायपुर थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

2– मन्दीप कुमार निवासी चमरूपुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।

3– अभिषेक सोनी निवासी हनुमान मन्दिर कस्बा व थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

4– प्रमोद कुमार निवासी बसुहार थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

5– शेरा निवासी कोतारी पश्चिम थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।

<u>बरामदगी</u>

1– लगभग 7 लाख रूपये कीमत की 47 किलो 950 ग्राम अवैध गांजा।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (Imperial Blue Whisky, Mc Dowell Superior Whisky, Tuborg Beer(अनुमानित मूल्य लगभग 22 लाख) लदी आयशर डीसीएम ट्रक बरामद।

दिनांक 11—02—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (Imperial Blue Whisky, Mc Dowell Superior Whisky, Tuborg beer अनुमानित मूल्य लगभग 22 लाख) लदी आयषर डीसीएम ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— अकबर पुत्र असगर नि0 संजय कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा।

2— रवि कुमार पुत्र बाबूलाल नि0 हरिनगर, डुम्मा गुड़गांव, हरियाणा।

बरामदगीः—

1— 310 पेटी अवैध अंग्रेजी षराब (अनुमानित मूल्य लगभग 22 लाख रूपये)।

2— 01 अदद डीसीएम ट्रक नम्बर एचआर—55—पी—9662

3— 02 अदद मोबाइल फोन।

4— 02 अदद कूटरचित बिल व बिल्टी।

5— रू0 660/— नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

बारा टोल प्लाजा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याः 02, थाना क्षेत्र अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात। दिनांक 11.02.2021 समय 10.15 बजे रात्रि।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा हरियाणा एवं पंजाब से अवैध षराब की तस्करी कर उत्तर प्रदेष के विभिन्न जनपदों व बिहार तथा झारखण्ड राज्य भेजी जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाँक 11—02—2021 को एस0टी0एफ0 मुख्यालय के उ0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह एसटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद सिंह, मु0आ0 के0के0 त्रिपाठी, मु0आ0 प्रभाकर पाण्डेय, आ0 प्रषान्त सिंह की टीम जनपद कानपुर देहात के थाना क्षेत्र अकबरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 02 पर अभिसूचना संकलन में व्यस्त थे, कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि इसी रास्ते अम्बाला पंजाब राज्य से ट्रक में लदी हुई अवैध अंग्रेजी षराब विक्रय हेतु बिहार जाने वाली है। इस सूचना पर विष्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक मय टीम को सहयोगार्थ साथ लेकर मुखबिर के बताये अनुसार टोल प्लाजा पर आने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही थी कि मुखबिर ने एक ट्रक को आता हुआ देखकर बताया कि यही वह ट्रक है जिसमें अवैध षराब है। जिस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त ट्रक को ओवरटेक कर रोककर चालक व केबिन में बैठे एक व्यक्ति सहित दोनों को उतारकर पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा ट्रक में अवैध अंग्रेजी षराब लदी हुई बताया गया, जिसे धान की भूसी की बोरियों के बीच छिपाया गया है। इस षराब को हमें रेवाड़ी हरियाणा निवासी सोनू ने दिया

है। इस षराब को हम लोगों को अम्बाला (पंजाब) से लेकर यूपी बिहार के बार्डर जनपद चन्दौली में सोनू के बताने पर किसी को देना था। षराब की सभी पेटियों एवं बोतलों पर "For sale in Haryana only" अंकित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात में दाखिल करके मु0अ0सं0 107/2021 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। परिवहन में प्रयुक्त वाहन उपरोक्त की जब्ती के सम्बन्ध में तथा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस०टी०एफ० के द्वारा विश्व स्तर पर पोंजी स्कीम चलाकर 10 लाख से अधिक लोगों से 03 अरब रूपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली U.K based कम्पनी iGniter 100 व SOLMAX GROUP का पर्दाफाश करते हुये, भारत मे उसके 02 रीजनल डायरेक्टर गिरफ्तार

दिनॉक 11.02.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को पौंजी स्कीम चलाकर लाखों लोगो से अरबो रूपये की धोखाधड़ी करने वाली यू0के0 बेस्ड विदेशी कम्पनी की धोखाधडी का पर्दाफाश करते हुये भारत मे उनके 02 रीजनल डायरेक्टरों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1– अनिरूद्ध नारायण पुत्र जय प्रकाश गुप्ता नि0 ए–121, ईसापुर, सदर, जनपद जौनपुर, हाल पता– डी–1101, सरस्वती आपर्टमेन्ट गोमतीनगर लखनऊ।

2– दीपक राय पुत्र गुलाब राय नि0 ग्राम– मदीउल्ला, पोस्ट–मोहम्दाबाद सिपाह थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ, हाल पता– 173/5, गोकुल बिहार, गोमतीनगर विस्तार, जनपद– लखनऊ।

बरामदगी :–

1. 13 अदद कूटरचित दस्तावेज (सोलमैक्स कम्पनी से सम्बन्धित)
2. 03 अदद मोबाइल फोन।
3. रू0 3470/– नगद ।

4. विभिन्न बैंको के 10 एटीएम कार्ड ।
5. 02 अदद डीएल ।
6. 02 अदद पैनकार्ड ।
7. 01 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांक :– 11.02.2021, **स्थान**:– थाना गाजीपुर, लखनऊ **समय**:–**22.30** बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से सूचनायें प्राप्त हो रही थी कि एक मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनी **iGniter 100** व **SOLMAX GROUP** वेबसाइट के माध्यम से भारत मे संचालित है, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी है व भारत मे रजिस्टर्ड नही है। इस कम्पनी के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की आड मे पौंजी स्कीम संचालित की जा रही है से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस पर श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के नेतृत्व मे उनकी टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे प्राप्त सूचना को विकसित करते हुए ज्ञात हुआ कि अब्दुल रहमान सन्धु जो कि मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है व फ्लोरियन करूगर द्वारा उक्त कम्पनी संचालित की जा रही है। जिसे इन लोगो के द्वारा **U.K** मे रजिस्टर्ड कराया है तथा वहॉ पर रहकर अन्य देशों मे कम्पनी के द्वारा पौंजी स्कीम चलाकर विश्व स्तर पर धोखाधड़ी करायी जा रही है। जबकि ये लोग **U.K** मे वहॉ के स्थानीय कानून का उल्लघन करने से परहेज करते है ताकि स्थानीय एजेन्सीज द्वारा कोई विधिक कार्यवाही न हो। विश्व के कई देशों के साथ–साथ भारत मे पिछले अप्रैल से राकेश सैनी जो कि होशियारपुर पंजाब का रहने वाला है, दुबई मे रहकर जूम एप के माध्यम से इस कम्पनी मे मनी सरकुलेशन स्कीम को चलाना प्रारम्भ किया तथा अल्पावधि मे ही लगभग 50 हजार लोगो का अपनी कम्पनी मे रजिट्रेशन कराकर पौंजी स्कीम के नाम पर लगभग 12 करोड से अधिक की धनराशि प्राप्त कर विदेशी खातों मे जमा करा दी। वही पूरे विश्व मे इस कम्पनी के द्वारा लगभग 10 लाख से अधिक लोगों से 03 अरब रूपये से अधिक धनराशि की ठगी की गयी है। इनके द्वारा यह पैसा विदेश मे यह कहकर भेजा जाता है कि हमारे द्वारा एजुकेशनल पैकेज ऑनलाइन सेल किये गये है ताकि इतनी बड़ी धनराशि आसानी से विदेशी खातों मे ट्रांसफर की जा सके। जबकि न तो यह कम्पनी भारत मे कही रजिस्टर्ड है और न ही इसका भारत मे कोई कार्यालय है और न ही लोगो से प्राप्त धनराशि की किसी भी प्रकार की कोई रसीद निर्गत करती है। कम्पनी लुभावने

वादो के तौर पर 25 पौण्ड से लेकर 05 हजार पौण्ड तक की 08 कैटेगरी मे से किसी 01 कैटेगरी मे पैसा जमा कराते है तथा बदले मे कम्पनी के शेयर इस झूठे वादे के साथ देते है कि आने वाले दिनों मे इन शेयरो की कीमत आसमान छू जायेगी और आपको बैठे बिठाये बिना कुछ किये बहुत बड़ा मुनाफा होगा। जबकि यह कम्पनी अभी तक किसी शेयर मार्केट मे लिस्टेड़ ही नही है और न ही यह दिये गये शेयरो के सम्बन्ध कोई डाक्यूमेन्ट या प्रमाण पत्र निर्गत करते है। इसी प्रकार एजुकेशन पैकेज देने का झांसा भी कम्पनी के द्वारा दिया जाता है। जिसमे क्या एजूकेशन है ? क्या वास्तव मे एजूकेशन पैकेज की कम्पनी से जुडने वाले मेम्बर को आवश्यकता है ? या नही, बिना इस बात को देखे हुये एकतरफा थोपकर बदले मे कुछ दिये जाने की खानापूर्ति कर देते है। जबकि कम्पनी की मूल कमाई नये मेम्बर से जुडने से प्राप्त एकमुश्त धनराशि ही है। जिसमे से वह कमीशन के तौर पर नये मेम्बरों को जोडने वाले पुराने मेम्बरों को देती है और बड़ी संख्या मे झांसा देकर नये लोगो को जोडने का लालच देती है। जबकि इस प्रकार की स्कीम चलाना डिपार्टमेन्ट ऑफ कन्जयुमर अफेयर्स भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग एवं नेटवर्क मार्केटिंग हेतु जारी की गयी वर्ष–2016 की गाइडलाइन्स व प्राइज चिट एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट 1978 का खुला उल्लघन है।

एस0टी0एफ0 के द्वारा कम्पनी के कार्यो की धरातलीय सूचनायों को विकसित करते हुये पाया कि भारत मे इस कम्पनी का ऑपरेशन अनिरूद्ध नारायण व दीपक राय के द्वारा बतौर रीजनल डायरेक्टर किया जा रहा है। जिनके सम्बन्ध मे गोपनीय रूप से जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि इनका राकेश सैनी से दुबई मे जाकर मिलना तथा उनके दिशा–निर्देशों के अनुरूप भारत मे ज्यादा से ज्यादा लोगो का इस कम्पनी मे झूठे प्रलोभनों के आधार पर पैसा निवेश कराया जा रहा है। इनके बारे मे पीड़ित व्यक्तियों से सम्पर्क कर और अधिक जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध मे थाना गाजीपुर, लखनऊ मे मु0अ0सं0 98/2021 एक पीड़ित द्वारा दर्ज कराया गया है। जिस पर एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे पीडित व्यक्ति एवं उपरोक्त दोनो आरोपियों को थाने पर तलब करते हुये विवेचक की मौजूदगी मे विस्तृत रूप से पूछतांछ कर जांच की गयी। जिसमे अभियुक्त किसी भी प्रकार का कोई वैद्य दस्तावेज अपनी कम्पनी एवं कार्यो के सम्बन्ध मे प्रस्तुत नही कर सका। इस पर इन्हे अपराधी पाते हुये थाने पर ही **दिनांक 11.02.2021 को समय 22.30 बजे** गिरफ्तार कर पूर्व से पंजीकृत उपरोक्त अभियोग मे धारा 467/468/471 भादवि एवं प्राइज चिट एण्ड मनी सरकुलेशन स्किम (बैनिंग) एक्ट 1978 की धारा 3/4/6 की उपधारा 02 की वृद्धि कर जेल भेजा गया।

अनिरूद्ध नारायण ने यह भी बताया कि मेरे अलावा भारत मे 03 और लोग गुरप्रीत सिंह (पंजाब), अमरजीत पुरवा (गुजरात), संजय सोनरके (गुजरात) मेरे ही समकक्ष पद के है, जो यह कार्य कर रहे है तथा यह भी बताया कि मेरे विरूद्ध थाना भभुआ, बिहार मे एनआई एक्ट के 02 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है। हमको प्रलोभन के तौर पर जोडे गये मेम्बरों से प्राप्त धनराशि पर कमीशन एवं मंहगे गिफ्ट जैसे– एप्पल

वॉच, मरसीडीज बेन्ज कार, रोल्सराय कार, एप्पल मैकबुक एयर आदि देने का वादा किया जाता है। मेरे द्वारा लगभग 20 हजार लोग कम्पनी से जोडे गये है। जिनसे मैने अभी तक लगभग 05 करोड की धनराशि कम्पनी के विदेशी खातो मे भिजवा दी है। मै इसके अलावा जमीनो की खरीद–फरोख्त का भी काम करता हूॅ।

——————